व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020

प्रश्न 1. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को शामिल किया गया है?

उत्तर. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत कुल 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को शामिल किया गया है।

प्रश्न 2. क्या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों पर लागू होगी?

उत्तर. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों पर लागू नहीं होगी। परंतु यह संहिता परिसर में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों पर लागू होगी।

प्रश्न 3. क्या किसी ठेकेदार के नियमित रूप से नियोजित कर्मचारी को संविदा श्रमिक माना जायेगा?

उत्तर. किसी ठेकेदार के नियमित रूप से नियोजित कर्मचारी को संविदा श्रमिक नहीं माना जाएगा यदि वह पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए समय-समय पर वेतन वृद्धि और वैधानिक लाभ के साथ नियोजित होता है।

प्रश्न 4. मुख्य गतिविधि क्या है?

उत्तर. यह वह गतिविधि है जिसके लिए प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है और जो प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है।

प्रश्न 5. क्या संविदा श्रमिकों को मुख्य गतिविधियों पर तैनात किया जा सकता है?

उत्तर. आमतौर पर संविदा श्रमिकों को मुख्य गतिविधियों पर तैनात नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 6. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिष्ठान के लिए संविदा मजदूरों की संख्या की सीमा क्या है?

उत्तर. 50 या अधिक संविदा मजदूरों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

प्रश्न 7. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत पंजीकरण की क्या आवश्यकता है?

उत्तर. 10 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान को संहिता के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।

प्रश्न 8. संविदा श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी?

उत्तर. संविदा श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए प्रधान नियोक्ता जिम्मेदार होगा।

प्रश्न 9. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रशासन पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए संहिता के तहत कौन सी संस्था निर्धारित है?

उत्तर. नियमों, विनियमों आदि को तैयार करने में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए संहिता के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड निर्धारित किया गया है।

प्रश्न 10. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत किसी प्रतिष्ठान में सुरक्षा समिति के गठन के लिए श्रमिकों की संख्या की सीमा क्या है?

उत्तर. 500 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान को प्रबंधन और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक सुरक्षा समिति बनानी होगी।

प्रश्न 11. संहिता के तहत अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वेतन सीमा क्या है?

उत्तर. प्रति माह 18000 रुपये तक की मजदूरी पाने वाले अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत कवर किया जाएगा।

प्रश्न 12. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत एक प्रवासी श्रमिक के लिए क्या अतिरिक्त लाभ निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर. नियोक्ता को वर्ष में एक बार पैतृक गांव आने-जाने के लिए यात्रा भत्ता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पोर्टेबिलिटी और निर्माण कार्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए बीओसीडब्ल्यू सेस फंड की पोर्टेबिलिटी प्रदान करनी होती है।

प्रश्न 13. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रतिष्ठान में कैंटीन उपलब्ध कराने के लिए श्रमिकों की संख्या की सीमा क्या है?

उत्तर. संविदा मजदूरों सहित 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान को कैंटीन की सुविधा प्रदान करनी होगी।

प्रश्न 14. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत क्रेच सुविधाओं के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तर. 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान को कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा प्रदान करनी होगी।

प्रश्न 15. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत रोजगार के औपचारिकरण के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तर. किसी प्रतिष्ठान के प्रत्येक नियोक्ता को अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र जारी करना होगा ।

प्रश्न 16. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में नियोक्ता का क्या दायित्व है?

उत्तर. प्रत्येक नियोक्ता को निर्धारित आयु के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करनी होगी।

प्रश्न 17. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत काम के दैनिक और साप्ताहिक घंटे कितने निर्धारित हैं?

उत्तर. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के तहत निर्धारित दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटे क्रमशः 8 घंटे प्रति दिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह हैं।

प्रश्न 18. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार एक कर्मचारी के लिए वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी का पात्र होने के लिए दिनों की संख्या के संदर्भ में न्यूनतम मानदंड क्या है?

उत्तर. वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी का पात्र होने के लिए एक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 180 या अधिक दिनों तक काम करना चाहिए।

प्रश्न 19. क्या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार किसी कर्मचारी को उसकी सहमति के बिना ओवरटाइम काम पर तैनात किया जा सकता है?

उत्तर. नहीं, किसी कर्मचारी को ओवरटाइम काम पर तैनात करने से पहले उसकी सहमति आवश्यक है।

प्रश्न 20. क्या व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुसार एक महिला कर्मचारी को रात्रि पाली में तैनात किया जा सकता है?

उत्तर. हाँ, एक महिला कर्मचारी को उसकी सहमति प्राप्त करने और उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और उपयुक्त कामकाजी परिस्थितियों के अधीन रात की पाली (सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद) के दौरान तैनात किया जा सकता है।

*****